

निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7 (4) अकाद/प्रवेश नीति/2011-12/316

दिनांक: 04-8-11

समस्त प्राचार्य,  
राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय  
राजस्थान।

विषय: प्रवेशनीति 2011-12 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक एफ 4 (7) अकाद/प्रवेशनीति/2011-12/235 दिनांक 10 जून, 2011 के तहत जारी किये गये आदेश के सम्बन्ध में बुहधा प्राचार्यों द्वारा जानकारी ली जाती रही है कि विशेष पिछड़ा वर्ग को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त होने के उपरान्त पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) को देय 21 प्रतिशत आरक्षण में विशेष पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित किया जाना है अथवा नहीं? उक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में विशेष पिछड़ा वर्ग सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए एक प्रतिशत आरक्षण का अलग से प्रावधान देय है।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक

कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/प्रवेशनीति/2011-12/316 दिनांक: 04-8-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त निदेशक

कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर